न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण मीना आर.ए.एस

दावा वाद संख्या – 23/2019

राजेश पुत्र फूलचन्द मीना निवासी कोड्याई तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

वादी.................

बनाम

राज्य सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र कुमार गोयल एडवोकेट

दिनांक 25.2.22

आदेश

वादी की और से यह वादपत्र इस आशय का दायर किया है कि वादी ग्राम कोड्याई तहसील बौंली का रहने वाला काश्तकार पेशा आसामी हैं वादी की सहखातेदारी की आराजीयात ग्राम वाके ग्राम कोड्याई मे मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073–2076 खाता संख्या 232 कुल किता 4 रकबा 2.62 है0 एवं ग्राम निस्किनपुरा मे जमाबन्दी संवत 2071–2074 खाता संख्या 141 कुल किता 1 रकबा 1.56 है0 है। उक्त आराजीयात मे वादी सहखातेदार है व निरंतर काबिज व काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातों की जमाबन्दियों मे वादी का नाम राजेश पुत्र फूलचन्द दर्ज है। वादी को ग्रामवासी बोलचाल की भाषा में अशोक भी कहते हैं लेकिन रिकॉर्ड आधार कार्ड, परिचय पत्र आदि में अशोक पुत्र फूलचन्द मीणा दर्ज है प्रार्थी के बच्चे भी विभिन्न विधालयो में अध्ययन कर रहे है। उसमे भी उनकी वल्दीयत अशोक कुमार मीणा दर्ज है। ग्राम कोड्याई मे राजेश पुत्र फूलचन्द नाम का कोई और व्यक्ति नही है अतः राजस्व रिकोर्ड में राजेश पुत्र फूलचन्द के स्थान पर राजेश उर्फ अशोक कुमार मीणा पुत्र फूलचन्द मीणा दर्ज किया जावे। अन्य सहखातेदारान के विरूद्व अनुतोष नही चाहा गया है। इस कारण उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त खातों की जमाबन्दी में राजेश पुत्र फूलचन्द दर्ज है। तथा वादी की और से पेश आधार कार्ड, परिचय पत्र, 10 वी की मार्कशीट में अशोक कुमार मीणा पुत्र फूलचन्द मीणा दर्ज है। परिणामतः

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर